स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सत्यमेव जयते

आपणो गरिमा आपणो मान
स्वच्छ राजस्थान

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक–एफ.4 ( ) पराविं / स्व0भा0मि0(ग्रा0) / शौचा.अनि. / 2017–18 / 7057 दिनांक : 14.07.17

सम्भागीय आयुक्त,
उदयपुर एवं जोधपुर।

विषय :– जन जातीय उप योजना (टीएसपी) मे शामिल जिलों मे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि का भुगतान दो किस्तों (प्रथम 8000 रू., द्वितीय 4000 रू.) में करने बाबत।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की घोषणानुसार राज्य को मार्च 2018 तक खुले में शौच से मुक्त किए जाने हेतु शौचालय निर्माण से शेष शौचालय विहीन परिवारों के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु तीव्र गति अपेक्षित है।

वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) में शौचालय निर्माण हेतु लाभार्थी द्वारा शौचालय का निर्माण पूर्ण कर फोटोग्राफ सहित उपयोतिगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एक मुश्त 12,000 / – रू. प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है।

अब **जनजातीय उपयोजना (टीएसपी)** ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण से पूर्व लाभार्थियों द्वारा धन की व्यवस्था के अभाव में शौचालय निर्माण में समस्या के समाधान के क्रम मे योजना मे अपेक्षित गति प्राप्त करने हेतु पूर्व विभागीय आदेशों की एक मुश्त 12,000 / – रू. प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रक्रिया को अतिक्रमित कर निर्देशित किया जाता कि हैं:–

- जन जातीय उप योजना (टीएसपी) क्षेत्र में शामिल जिलों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु लाभार्थी द्वारा शौचालय निर्माण हेतु जगह का निर्धारण कर आवेदन प्रस्तुत किया जाना हैं।
- प्रस्तावित स्थान की ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापन कर फोटोग्राफी की जानी हैं।
- शौचालय निर्माण हेतु लाभार्थी द्वारा दो गड्ढे (twin pit) मानक के अनुरूप दो गड्ढे खोदे जाने पर ग्राम सेवक / रोजगार सहायक / पंचायत सहायक / कनिष्ठ लिपिक द्वारा सत्यापन एवं फोटोग्राफी के आधार पर "ग्राम पंचायत" द्वारा शौचालय निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में 8,000 / – रू. शौचालय निर्माण हेतु लाभार्थी को निर्माण से पूर्व भुगतान हेतु विकास अधिकारी को अभिशंषा की जायेगी।
- ग्राम पंचायत की अभिशंषा के आधार पर विकास अधिकारी द्वारा विभागीय निर्देशों के अनुसार भामाशाह / आधार लिंक पेमेन्ट सिस्टम eFMS के माध्यम से प्रोत्साहन राशि की प्रथम किस्त 8,000 / –रू. लाभार्थी के खाते में सीधे भुगतान किया जावेगा।

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

- लाभार्थी द्वारा एक माह में शौचालय निर्माण किए जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण शौचालय का सत्यापन एवं जियो टेगिंग की जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अन्तिम किस्त के रूप में शेष राशि रू. 4000/-शौचालय निर्माण हेतु लाभार्थी को भुगतान हेतु विकास अधिकारी को अभिशंषा की जायेगी।
- ग्राम पंचायत की अभिशंषा के आधार पर विकास अधिकारी द्वारा पूर्व विभागीय निर्देशों के अनुसार भामाशाह/आधार लिंक पेमेन्ट सिस्टम eFMS के माध्यम से प्रोत्साहन राशि की अन्तिम किस्त 4,000/-रू. लाभार्थी के खाते में सीधा किया जावेगा।
- यदि लाभार्थी द्वारा प्रथम किस्त 8000/- रू. प्राप्त करने के उपरान्त भी निर्धारित समय में शौचालय का निर्माण नहीं करता हैं तो अन्य आवासीय योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रक्रिया के अनुसार लाभार्थी से प्रथम किस्त के 8000/- रू. वसूल किए जायेंगे।

अतः उक्तानुसार निर्देशों की पालना की जाकर योजना की सतत् निगरानी एवं मुल्यांकन किया जाकर विशेष प्रयासों से निर्धारित समयावधि मे लक्ष्य प्राप्त किया जाना सुनिश्चत करावें।

14/7/17

(नवीन महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैं:-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय ग्रा. वि. एवं प०रा० विभाग।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा. वि. एवं प०रा० विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, प०रा० विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रा.वि.
5. जिला कलक्टर, जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं सिरोही।
6. ... मुख्य कार्यकारी, जिला परिषद बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं सिरोही।
7. जिला परियोजना समन्वयक, जिला परिषद बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं सिरोही।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त जनजातीय उपयोजना (टीएसपी)।

14/7/17

कृते निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)